संख्या सा0-3-555/दस-912-85

प्रेषक,

श्री विजय कृष्ण सक्सेना,
प्रमुख वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1--निदेशक, उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश, कानपुर ।
2--निदेशक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3--आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ ।
4--निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5--निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

लखनऊ, दिनांक 19 मार्च, 1987

विषय--पेंशन देयों की स्वीकृति की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण ।

महोदय,

वित्त(सामान्य) अनुभाग-3

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या सा-3-1446/दस-912-85, दिनांक 6 अगस्त, 1985 में जारी आदेशों के अनुसार पुलिस विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग तथा राजस्व परिषद् के कर्मचारियों के सेवा निवृत्त होने पर देय पेंशनीय लाभों की स्वीकृति एवं भुगतानादेश जारी करने का कार्य महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के बजाय उक्त विभागों के मुख्य लेखा अधिकारियों द्वारा सम्पादित किये जाने का निर्णय लिया गया था। उक्त योजना के कार्यान्वियन हेतु विस्तृत प्रक्रिया भी उपर्युक्त शासनादेश में ही निर्धारित की गई थी। यह योजना उक्त विभागों के दिनांक 31 जुलाई, 1985 अथवा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में लागू की गयी थी ।

2--अब शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त योजना के आधार पर ही दिनांक 31 मार्च, 1987 अथवा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त होने वाले आपके विभाग के सरकारी सेवकों के संबंध में भी पेंशनीय लाभों की स्वीकृति एवं भुगतानादेश जारी करने का कार्य महालेखाकार के बजाय आपके विभाग के मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा ही सम्पादित किया जायेगा। आपके विभाग में इस योजना को लागू करने हेतु विस्तृत रूपरेखा वही रहेगी जैसी कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 6 अगस्त, 1985 (प्रतिलिपि सलग्न) में जारी की गयी है। उक्त शासनादेश के पैरा-1 (9) में जारी आदेशों में शासनादेश संख्या-सा-3-50-86/दस-912-85, दिनांक 3 जनवरी, 1986 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा किंचित संशोधन कर दिया गया है ।

3--चूंकि ग्राम्य विकास विभाग तथा पशुपालन विभाग में मुख्य लेखा अधिकारी का पद नहीं है अतएव उक्त विभागों में वरिष्ठ लेखा अधिकारी के वर्तमान पद को उच्चीकृत करके मुख्य लेखा अधिकारी का पद सृजित करा लिया जायेगा।

4--उपरोक्त कार्य के संचालन हेतु उपरोक्त पांचों विभागों के लिये निम्नलिखित अतिरिक्त अस्थायी पदों के 28 फरवरी, 1988 तक अथवा यदि उसके पूर्व समाप्त न कर दिये जायें, सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है--

	सहायक लेखा अधिकारी (690-1,420)	लेखाकार (570-1,100)	टंकक (354-550)	रिकार्डकीपर (430-685)	चपरासी 305-390)	योग
1--उद्योग विभाग	1	2	1	1	1	6
2--कृषि विभाग	1	3	1	1	1	7
3--ग्राम्य विकास विभाग	1	3	1	1	1	7
4--पशुपालन विभाग	1	2	1	1	1	6
5--शिक्षा विभाग	1	5	1	1	1	9

उपरोक्त पदों में से सहायक लेखा अधिकारी का पद निदेशक, कोषागार एवं लेखा द्वारा तथा टंकक, रिकार्डकीपर एवं चपरासी के पद सीधी भर्ती/पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। लेखाकार का पद, यदि विभाग आवश्यक समझे तो लेखा परीक्षकों अथवा कोषागार के लिपिक सम्वर्ग से भी भरा जा सकता है और उस स्थिति में यह पद अराजपत्रित पद समझा जायगा। उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त यदि आवश्यक हुआ तो संबंधित विभाग अपने वर्तमान स्टाफ को लगायेगा ।

उपरोक्त योजना पर होने वाला व्यय संबंधित विभाग के लेखा शीर्षक से चालू वित्तीय वर्ष की बचतों से वहन किया जायेगा। आगामी वर्षों के व्यय हेतु संबंधित विभाग अपने आय-व्ययक में स्वयं प्राविधान करायेंगे।

भवदीय,
विजय कृष्ण सक्सेना,
प्रमुख सचिव।

संख्या सा0 –3–555 (1)/दस–912-85, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:––

1––प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग एवं शिक्षा विभाग, लखनऊ।
2––सचिव, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग, लखनऊ।
3––महालेखाकार (लेखा) प्रथम एवं द्वितीय, महालेखाकार (आडिट) तृतीय एवं चतुर्थ, इलाहाबाद,
4––निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
5––प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त।
6––प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी।
7––प्रदेश के समस्त कोषाधिकारी।
8––उद्योग, कृषि, ग्राम्य विकास, पशुपालन एवं शिक्षा विभागों के अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष।
9––निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद।
10––पेंशन अधिकारी, विधान भवन, लखनऊ।
11––सचिव, कार्मिक विभाग, लखनऊ।
12––सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13––निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को आवश्यक प्रचार हेतु।

आज्ञा से,
वेद प्रकाश अग्रवाल,
संयुक्त सचिव।

पी0 एस0 यू0 पी0-ए0 पी0 15 सा0 भाषा–24–6–87–(1009)–1987–5,000 (मैग0)।